न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी — डॉ. अंजलि राजोरिया (I.A.S.)
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
48/2019	2019/00104	25.11.2019	12.02.2024

श्री कन्हैयालाल पिता हिरालाल जाट निवासी पल्थान जिला प्रतापगढ़ (राज.)

:— अपीलार्थी

—: बनाम :—

श्रीमती गंगा बाई पुत्री नन्दराम पत्नि राधेश्याम जाट निवासी पल्थान जिला प्रतापगढ़

:— विपक्षीगण

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण आदेश न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ़ प्र.सं. 1/14 दिनांक 02.08.2019

उपस्थिति :—
1. श्री शरद कुमार चिप्पड —अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री कमल सिंह गुर्जर —अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—: आदेश :— दिनांक :— 12.02.2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा अपील विरूद्ध नामान्तरकरण आदेश न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ़ प्र.सं. 1/14 दिनांक 02.08.2019 के प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम पलथान पटवार हल्का वरमण्डल तहसील प्रतापगढ़ के दिगर खातेदार श्री हिरालाल जाट की खातेदारी में दर्ज आराजी संख्या 228, 259, 466, 904 कुल किता 4 रकबा 2.14 हैक्टर तथा हिरालाल के मृत्तक पुत्र नन्दराम के स्वामित्व में दर्ज आराजी संख्या 321 रकबा 1.75 हैक्टर भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत वरमण्डल द्वारा निष्पादित नामान्तरकरण संख्या 252 दिनांक 30.03.2001 के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा निर्णित अपील संख्या 10/2001 निर्णय दिनांक 31.05.2004 के अनुसार न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा नामान्तरकरण संख्या 252 दिनांक 30.03.2001 को निरस्त करते हुए अपील में निर्धारित रिमाण्ड बिन्दुओं पर उभय पक्षकारान की समुचित सूनवाई एवं साक्ष्यांकित आधारों पर नवीनतम् नामान्तरकरण पारीत करने हेतु तहसीलदार प्रतापगढ़ को निर्देश जारी किये गये थे।

किन्तु तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा उक्त क्रम में संचालित प्रकरण संख्या 01/2014 अन्तर्गत अपीलार्थीगण को समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही प्रकरण में पारीत आदेश दिनांक 02.08.2019 के द्वारा प्रकरण में विवादित नामान्तरकरण से प्रभावित भूमियों का नामान्तरकरण पुनः नामान्तरकरण संख्या 252 दिनांक 30.03.2001 के अनुसार दर्ज करते का आदेश प्रदान किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपील अपीलार्थी निम्न आधारों पर सादर प्रस्तुत है।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

1. यह कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ़ में विचारण प्रकरण संख्या 01/14 अन्तर्गत अपीलार्थीगण को समुचित सूनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर प्रदान नहीं किया गया है।
2. यह कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का समुचित विवेचन किये बिना ही रेस्पोडेन्ट संख्या–1 श्रीमती गंगाबाई पत्नि राधेश्याम जाट के पैतृकपुरूष नन्दराम पुत्र हिरालाल जाट की जायन्दा संतान नहीं होने पर भी पैतृक अधिकार से उसका हक–हिस्सा रिकार्ड पर कायम किया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाते हुए तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 01/14 में पारीत आदेश दिनांक 02.08.2019 को अपास्त किया जाकर नवीनतम् सिरे से प्रकरण संचालित कर उचित आदेश अनुसार अपीलार्थीगण का नाम भी राजस्व में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामिल रिपोर्ट रेस्पोडेन्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री विमल कुमार मोदी उपस्थित हुए तथा अपील जवाब प्रस्तुत नहीं करते हुए सीधे बहस हेतु निवेदन किया गया। जिसे स्वीकार किया जाकर बहस अपील उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस उपस्थित अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि प्रकरण में वर्णित विवादित नामान्तरकरण संख्या 252 दिनांक 30.03.2001 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा उक्त विवादित नामान्तरकरण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, प्रतापगढ़ के समक्ष न्यायालय द्वारा जरिये प्रकरण संख्या 10/2001 द्वारा अपीलार्थीगण के पक्ष में निर्णित करते हुए विवादित नामान्तरकरण संख्या 252 को निरस्त करते हुए अपील अपीलार्थी रिमाण्ड बिन्दु उभय पक्षकारों की समुचित सुनवाई एवं साक्ष्यांकित करने के निर्देश के साथ नवीनतम् नामान्तरकरण कार्यवाही हेतु तहसीलदार प्रतापगढ़ को प्रति प्रेषित की गई थी।

उक्त क्रम में तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा जरिये प्रकरण संख्या 01/2014 दर्ज करते हुए रिमाण्ड़ बिन्दुओं की समुचित पालना किये बिना ही निर्णय दिनांक 02.08.2019 के द्वारा विवादित नामान्तरकरण संख्या 252 दिनांक 30.03.2001 के अनुसार पुनः नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या–1 एवं अपीलार्थीगण के नाम दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया गया। जबकि प्रकरण के मूल विवादित बिन्दु की रेस्पोडेन्ट संख्या–1 श्रीमती गंगाबाई पैतृक पुरूष नन्दराम पुत्र हिरालाल की जायन्दा पुत्री नहीं होकर नातायत पत्नि के साथ आई हुई लडकी पुत्री थी। जिस आधार पर अपीलार्थीगण के पैतृक पुरूषों की सम्पति में कोई हक अधिकार सृजित नहीं होता है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 01/14 में पारीत निर्णय दिनांक 02.08.2019 को अपास्त फरमाते हुए न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा निर्धारित रिमाण्ड बिन्दुओं की समुचित पालना करते हुए नवीनतम् सिरे से कार्यवाही करने के आदेश प्रदान करावें।

इसी क्रम में उपस्थित अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा अपील मेमों में वर्णित कथनों तथा बहस अपीलार्थी द्वारा किये कथनों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपील में वर्णित विवादित नामान्तरकरण संख्या 252 दिनांक 30.03.2001 ग्राम पंचायत वरमण्डल द्वारा समुचित आधारों पर स्वीकृत किया गया था जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ के समक्ष अपील संख्या 10/2001 प्रस्तुत की गई थी जिसे उक्त न्यायालय द्वारा रिमाण्ड बिन्दुओं के साथ तहसीलदार प्रतापगढ़ को प्रति प्रेषित की गई थी जिसमें अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा समुचित रिमाण्ड बिन्दुओं पर सुनवाई करते हुए जरिये प्रकरण संख्या 01/14 दिनांक

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

02.08.2019 को उचित आधारों पर निर्णित किया जा चुका है एवं उक्त आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण आधार पर दर्ज भूमियों के संबंध में जरिये बेचान एवं न्यायालय आदेश तथा अन्य आधारों पर कई नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड में प्रविष्ट हो चुके है तथा प्रस्तुत अपील में विचाराधीन नामान्तरकरण से प्रभावित भूमियों के संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ के समक्ष एक नियमित वाद संख्या 84/2019 दिनांक 03.09.2019 को दर्ज रिकार्ड हो वर्तमान में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वतः निरस्त योग्य है।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेज क्रमशः प्रस्तुत अपील मेमों दिनांक 24.10.2019, नकल निर्णय प्रकरण संख्या 04/2014 निर्णय दिनांक 02.08.2019 एवं विवादित नामान्तरकरण संख्या 252 दिनांक 30.03.2001 तथा निर्णित अपील संख्या 10/2001 निर्णय दिनांक 31.05.2004 एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदियां संवत 2074–2077 के साथ साथ अधिनस्थ न्यायालय से निर्णित पत्रावली संख्या 01/20014 में संलग्न समस्त रिकार्ड दस्तावेजों एवं नकल आदेशिकाओं का गहनता पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन प्रकरण में प्रचलित विधियों के तहत् किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्यों के संदर्भ में अपीलार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं रखे गये है तथा अपील में वर्णित विवादित नामान्तरकरण संख्या 252 दिनांक 30.03.2001 पर अंकित सजरा खानदान अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या –1 को नन्दराम पुत्र हिरालाल की पुत्री के रूप में दर्शित किया गया है। जिसका जायंदा संतान होना या ना होना अथवा नातायत पुत्री होने के आधार पर उसके उत्तराधिकारिता के प्रश्न का विनिच्य हस्तगत् न्यायालय के श्रृवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकारिता से परे है। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 10/2001 निर्णय दिनांक 31.05.2004 अन्तर्गत पारीत नामान्तरकरण विवेचन अनुसार स्वीकृत नामान्तरकरण दिनांक को कोरम बैठक का नहीं होने को आधार मानते हुए तथा उभय पक्षकारान की समुचित सुनवाई एवं साक्ष्यांकिंत करने के निर्देश रिमाण्ड बिन्दुओं के साथ अपील निस्तारित की गई थी।

जिसके संबंध में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ़ में दर्ज नामान्तरकरण प्रकरण संख्या 01/14 अन्तर्गत समुचित पालना किया जाना दर्शित रिकार्ड प्रतीत होता है तथा प्रश्नगत् विवादित नामान्तरकरण से प्रभावित भूमियों के संबंध में वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार अन्य कई नामान्तरकरण रिकार्ड पर दर्ज निस्तारित हो चुके है, ऐसी स्थिति में विवादित नामान्तरकरण के विवाद्यकों का प्रश्न रिकार्ड से परे हो चुका है।

प्रकरण में अपीलगत् विवादित निर्णित प्रकरण संख्या 01/14 निर्णय दिनांक 02.08.2019 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा अन्तर्गत धारा 135(2) के तहत् निर्णित होने की स्थिति उक्त आदेश विरूद्ध अपीलीय प्राधिकार संभागीय आयुक्त न्यायालय को प्राप्त है।

जहां तक हिन्दु उत्तराधिकार संशोधित अधिनियम 2005 का विषय है तो उक्त संशोधन से पैतृक चल एवं अचल दोनों प्रकृति की सम्पत्तियों में पुत्र एवं पुत्री को समान अधिकार दिये जाने के प्रावधान किये गये है। परन्तु प्रश्नगत् प्रकरण काश्तकारी भूमियों के स्वतत्व अधिकारी हक – हिस्से की अवधारण के विषयक् है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं भू–राजस्व अधिनियम 1956 तथा राजस्व भू–अभिलेख नियम 1957 में विहित् प्रावधानों अनुसार विवेचन योग्य रहा है।

साथ ही पत्रावली पर प्रस्तुत नकल प्रतियां प्रकरण संख्या 84/2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ अनुसार विवादित नामान्तरकरण से प्रभावित भूमियों के हक अधिकार से संबंधित एक नियमित वाद के विचाराधीन रहते अपील नामान्तरकरण कार्यवाही औचित्य विहीन हो जाती है, क्योंकि नामान्तरकरण कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

जिससे पक्षकारान के हक अधिकारों का निर्धारित नहीं किया जा सकता है (Mutation is only fiscal enqury of land record) ऐसी स्थिति में दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 में विहित प्रावधानों अनुसार किसी सम्पति वाद विषयक् सक्षम न्यायालय में समान पक्षकरों एवं समान वाद विषय वस्तु पर पूर्व से वाद विचाराधीन होने की स्थिति में पूरक कार्यवाही प्रारम्भ से आस्तगित (Adjornment) योग्य प्रतीत होती है। यद्यपि विवादित निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी सक्षम न्यायालय स्तर से विधिक उपचार प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र है।

अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2024 को खुले न्यायालय सुनाया जाकर लिपीबद्व किया गया है।

(डॉ. अंजलि राजौरिया)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ